न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 183/2025 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पीथास तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. भंवरकंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत पत्नी किसनसिंह उम्र बालिग हाल निवासी बदनपुरा तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
3. पारसकंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत पत्नी विजयसिंह उम्र बालिग निवासी जस्सू जी का खेड़ा तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
4. मंजु कंवर माता गेंदकंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग हाल निवासी जमोला तह0 मसूदा जिला अजमेर
5. मुन्ना कंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत पत्नी देबीसिंह उम्र बालिग हाल निवासी बस्स्सी (पटपड़ा) तह0 बेगू जिला चित्तोड़गढ

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भवानीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पीथास तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़लियास, जिला भीलवाड़ा राज0

विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता –

1. पृथ्वीराज चौधरीः– प्रार्थी

निर्णय दिनांक–24/9/2025

प्राथीगण की ओर से दिनांक 18.07.2022 को अधिवक्ता श्री वासुदेव पंचोली द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे रिपोर्ट उपरान्त उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में रजिस्टर में क्रम संख्या 80/2022 पर पंजीबद्ध किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक नियमित वाद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर दिया जिसमें वे अवश्य विजित होगे।

प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 जन्म से हिन्दू होकर एक ही पूर्वज के वंशज है जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

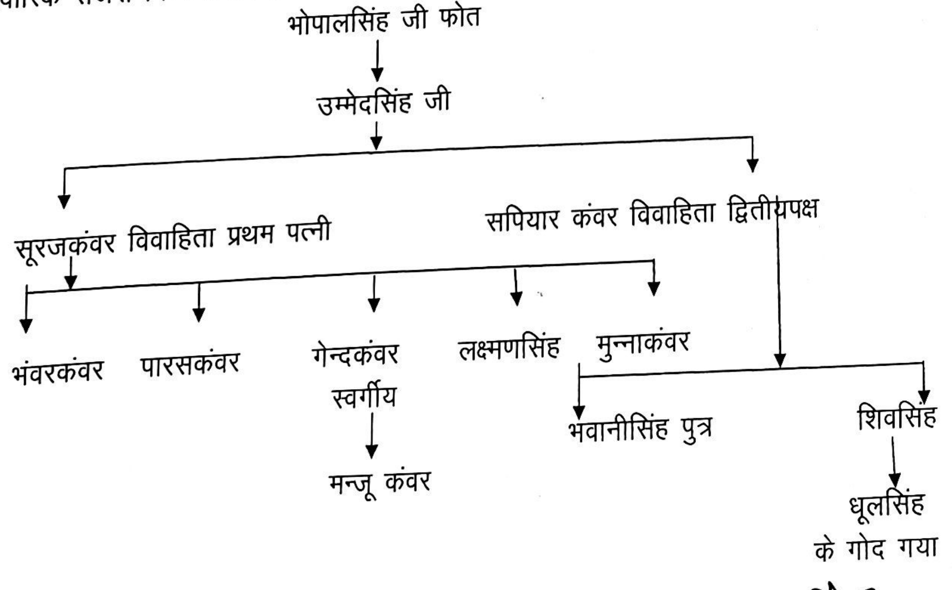

सहायक कलेक्टर

भीलवाड़ा

प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 हिन्दू धर्म की मिताक्षरा शाखा से संबंधित होने के कारण उनके सम्पति संबंधी अधिकारों का विनिश्चय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत किये जाने के विधिक प्रावधान है।

प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 की पुश्तैनी जायदाद मौजा पीथास प0 ह0 बड़ला तह0 कोटड़ी की राजस्व सीमा में स्थित हो विपक्षी संख्या 2 द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखों में भवानीसिंह पुत्र उम्मेंदसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, लक्ष्मण सिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, सप्यार कंवर पत्नी स्व0 उम्मेदसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत साकिनदेह खातेदार आराजी संख्या 138, 164, 276, 302, 341, 342, 343, 344/2, 345, 346, 347, 353, 354, 355, 356, 381, 382, 383, 385, 387, 388, 389, 500, 570, 571/1, 583, 584, 585, 588, 591, 592, 593, 594, 595/1, 605, 606 कुल किता 37 रकबा 36.1681 हैक्टयर के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

इसके अतिरिक्त सामलाती चाह संख्या 604 रकबा 5 बिस्वा में प्रार्थीगण उनके हिस्से अनुसार हक अधिकार बनते है।

इससे पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि उम्मेदसिह पुत्र भोपालसिह राजपूत के नाम पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा पोषित राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 अनुसार दर्ज रही है। उम्मेदसिह जी की मृत्यु दिनांक 01–6–2001 में हो जाने के बाद जरिये नामान्तकरण संख्या 574 दिनांक 5–9–2002 के उनके पुत्र भवानीसिह, लक्ष्मणसिह व विधवा सप्यार कंवर के नाम वादग्रस्त भूमि बराबर हक से दर्ज कर दी गयी जो अवेध रूप से दर्ज की गयी।

उम्मेदसिह जी की मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से उनके उत्तराधिकारियो के सम्बन्ध मे बिना जानकारी लिए नामान्तकरण खोला जाकर उम्मेदसिह जी की पुत्रियो वादीगण संख्या 2 लगायत 5 तक जो उम्मेद जी की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा निर्वसीयत छोडी गयी कृषि भूमि मे पुत्रो व पत्नि की तरह बराबर का हक हिस्सा दर्ज किये जाने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

उम्मेदसिह जी के दो पत्निया प्रथम विवाहित पत्नि सूरजकंवर व द्वितीय विवाहिता सपियार कंवर थी। उम्मेदसिह व सूरजकंवर के विवाहोत्तर शारीरिक सम्बन्धो से एक पुत्र वादी संख्या 01 लक्ष्मणसिह व चार पुत्रिया प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 तक हुयी एवं सपियार कंवर व उम्मेदसिह जी के विवाहोत्तर शारीरिक सम्बन्धो. से दो पुत्र भवानीसिह व शिवसिंह हुये शिवसिंह उम्मेदसिह जी के जीवन काल में धूलसिंह जी के गोद चला गया। उसे धूलसिह जी की मृत्यु के बाद उनकी सारी चल अचल सम्पति प्राप्त हो गयी। इसलिए उम्मेदसिह जी की मृत्यु के बाद 1/3 हिस्सा भवानीसिह 1/3 हिस्सा सपियार कंवर शेष 1/3 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया।

उम्मेदसिह जी की जब मृत्यु हुयी तब उम्मेदसिह जी की विवाहिता प्रथम पत्नि सूरजकंवर जीवित थी इसलिए उसके उम्मेदसिह जी प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी विधवा होने से वह शेष उत्तराधिकारियो की तरह बराबर का हिस्सा पाने की अधिकारिणी थी। क्योकि उम्मेदसिह जी की मृत्यु के तत्काल पश्चात ही उसे वादग्रस्त जायदाद में हिस्सेदारी प्राप्त हो गयी।

उम्मेदसिह जी की मृत्यु के तत्काल पश्चात ही 1/8 वा हिस्सा सूरजकंवर को 1/8 वा हिस्सा सपियार कंवर को 1/8 वा हिस्सा भंवर कंवर को 1/8 वा हिस्सा पारस कंवर को 1/8 वा हिस्सा गेन्द केवर को 1/8 वा हिस्सा लक्ष्मणसिह को 1/8 वा हिस्सा मुन्ना कंवर को प्राप्त हो गया। गेन्द कंवर की मृत्यु हो गयी इसलिए उसका 1/8 वा हिस्से की हकदार उसकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकार उसकी पुत्री मंजु कंवर वादिया क्रम 4 है। उक्त हिस्सा अनुसार ही विपक्षी सख्या 2 द्वारा वादग्रस्त जायदाद बाबत नामान्तकरण खोलना था।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वर्तमान समय मे उम्मेदसिह जी द्वारा अपने पीछे छोडी गयी कृषि भूमि उनके तीन उत्तराधिकारियो के नाम पर प्रत्येक के 1/3 हिस्से से दर्शायी हुयी है, वह अवैध होकर विधिक प्रावधानो के विपरित है। वर्तमान में 1/3 हिस्से की दर्ज खातेदार सपियार कंवर की मृत्यु हो गयी है। वर्तमान में प्रार्थी संख्या 01 के 1/3 हिस्सा विपक्षी सख्या 01 भवानीसिह के 1/3 हिस्सा व स्व० सपियार कंवर के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है वह अवैध होने से हटाये जाने योग्य होकर प्रत्येक वादी के नाम पर 1/8 वा हिस्सा व विपक्षी सख्या 1 के नाम पर 1/8 वा हिस्सा दर्ज किया जाकर उन्हे उनके बनने वाले हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि सम्मत है क्योकि सभी हितबद्ध बाबत खातेदारी के वैध रूप से अधिकारी है।

स्व० उम्मेदसिह जी की मृत्यु के पश्चात सभी हितबद्ध खातेदारो का उनके बनने वाले हिस्से पर कब्जा होने की विधि मे अवधारणा किया जाना न्याय संगत है क्योकि वादग्रस्त जायदाद कृषि भूमि हितबद्ध अंशधारी खातेदारो के सयुक्त –खाते के स्वामित्व की अविभाज्य सम्पति है।

प्रार्थीगण उनके बनने वाले हिस्से अनुसार अपना हिस्सा जरिये मिटस एण्ड बाउण्डस के विपक्षी संख्या 01 से विभाजन कराने के अधिकारी है जो उनका कानूनी अधिकार है।

विपक्षी सख्या 01 के नाम पर उसके बनने वाले हिस्से से अधिक हिस्सा उसके नाम पर दर्ज है इसलिये वह न तो अपना हिस्सा कम दर्ज करवाने को तैयार है न ही भूमि का बटवाडा हिस्सेनुसार करने को सहमत है इसलिए प्रार्थीगण के पास उनके बनने वाले हिस्से अनुसार उनके नाम पर दर्ज करवा बंटवाडा कराने हेतु वाद लाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थी संख्या 01 अपने बनने वाले 1/8 वे हिस्से से संतुष्ट है उसके दर्ज हिस्से को कम कराने में प्रार्थी को कोई आपति नही है।

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सख्या 01 दिनांक 10–1–2022 से निरन्तर निवेदन किया जाता रहा है कि सभी उम्मेदसिह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उनके बनने वाले हिस्सेनुसार नाम जुडवा ले व हिस्सा दर्ज करवा ले तो विपक्षी संख्या 01 ने इन्कार कर दिया व धमकी दी कि वह अपने 1/3 हिस्से के अतिरिक्त उसकी माता का हिस्सा अपने नाम पर दर्ज करवायेगा व प्रार्थीगण संख्या 02 से 5 तक का विवाह हो गया इसलिये उन्हे कोई हिस्सा नही देगा क्योकि उनका पिता की सम्पति के विवाह के बाद हक नही बनता ।

यदि वादीगण हिस्सो मे घटोतरी बढोतरी करवायेगे तो विपक्षी सख्या 01 भूमि को विक्रय कर देगा। प्रार्थीगण को वादग्रस्त जायदाद कृषि भूमि पर काश्त नही करने देगा। इसलिये प्रार्थीगण वादग्रस्त जायदाद बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

दिनांक 10–01–2022 से विपक्षी सख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण सख्या 2 लगायत 5 तक को हिस्सा देने उनका नाम वादग्रस्त जायदाद मे दर्ज कराने से इन्कार होने व जायदाद का बंटवाडा कराने से मना करने से बिनायदावा उत्पन्न हो जारी है।

प्रार्थीगण वादग्रस्त जायदाद मे अपने हिस्से अनुसार खातेदारी पाने व बंटवाडा कराने व काबिज रह काश्त करने की अधिकारी है जिसको विपक्षी सख्या 01 के नाम गलत दर्ज हिस्से के आधार पर रोकने व विवाद करने का अधिकार नहीं है न भूमि को विक्रय करने का अधिकार है प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम द्वष्टया समायत योग्य है।

न्याय के सभी बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण द्वारा लाया गया वाद कानूनी बिन्दुओ व वास्तविक तथ्यो पर आधारित है व वादपत्र न्यायालय के खातेदारी कब्जे व हिस्से बाबत विचारणीय प्रश्न व वादपत्र में निहित है इसलिये सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थीगण को उनके वैध हिस्से की खातेदारी भूमि पर काश्त नहीं करने दिया जाता है विपक्षी सख्या 01 अकेला अनुचित लाभ अर्जित करते रहने व प्रार्थीगण के हक अधिकार से मना कर भूमि को अपने गलत दर्ज हिस्से के आधार पर विक्रय कर देने की स्थिति मे अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी व प्रार्थीगण को काश्त करने से वंचित करने की स्थिती मे अशोधनीय हानी उठानी पडेगी।

24/7/25
सहायक कलक्टर

अतः निवेदन है कि मौजा पीथास पटवार हल्का बडला तहसील कोटडी स्थित वादग्रस्त जायदाद ग्राम पीथास की आराजी नम्बर 138, 164, 276, 302, 341, 342, 343, 344/2, 345, 346, 347, 353, 354, 355, 356, 381, 382, 383, 385, 387, 388, 389, 500, 570, 571/1, 583, 584, 585, 588, 591, 592, 593, 594, 595/1, 605, 606 कुल किता 37 रकबा 36.1681 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी जायदाद कृषि भूमि होने से प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार काश्त करने से नहीं रोकने वादग्रस्त जायदाद मे विपक्षी संख्या 01 के गलत दर्ज हिस्से का बेजा फायदा उठा विक्रय नही करने विपक्षी संख्या 01 के बनने वाले हिस्से से अधिक अन्य सह खातेदारान के हिस्से पर काश्त कर अनुचित लाभ अर्जित नहीं करने हेतु विपक्षी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे व विपक्षी संख्या 2 को वाद लम्बित रहते किसी प्रकार के अनुचित परिवर्तन नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी में दिनांक 18.07.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राज–1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील कोटड़ी का पुनगर्ठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा/खेडलिया/महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाड़ा सम्मिलित किये जाने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में स्थानान्तरित की है। प्रकरण उपखण्ड भीलवाड़ा में दिनांक 30.07.2024 को प्रकरण संख्या 761/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किये गये।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक न्याया/विविध/2025/42033 दिनांक 13.02.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत विचाराधीन तहसील सवाईपुर की पत्रावलियां अंतरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में पेश होने से पत्रावली दिनांक 24.03.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 183/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु नियत की गई।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी द्वारा मूल वाद में वकालतनामा दिनांक 13.08.2025 को पेश किया गया। अप्रार्थीगण क़ी तलबी होकर सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 20.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला–
2. सुविधा का संतुलन–
3. अपूरणीय क्षति–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पीथास पटवार हल्का बड़ला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तह0 सवाईपुर एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 138, 164, 276, 302, 341, 342, 343, 344/2, 345, 346, 347, 353, 354, 355, 356, 381, 382, 383, 385, 387, 388, 389, 500, 570, 571/1, 583, 584, 585, 588, 591, 592, 593, 594, 595/1, 605, 606 कुल किता 37 रकबा 36.1681 हैक्टयर भूमि विपक्षी संख्या 02 द्वारा पोषित राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 अनुसार दर्ज रही है। उम्मेदसिहं जी की मृत्यु दिनांक 01.06.2001 मे हो जाने के बाद जरिये नामान्तकरण संख्या 574 दिनांक 05.09.2002 से उनके पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/3, लक्ष्मण हिस्सा 1/3 व पत्नी सप्यार कंवर के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है, जो अवैध रूप से दर्ज की गई है।

24/9/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

उम्मेदसिह जी की मृत्यु के तत्काल पश्चात ही 1/8 वा हिस्सा सूरजकंवर को, 1/8 वा हिस्सा सप्यार कंवर को, 1/8 वा हिस्सा भंवर कंवर को, 1/8 वा हिस्सा पारस कंवर को, 1/8 वा हिस्सा गेन्द कंवर को, 1/8 वा हिस्सा लक्ष्मणसिह को, 1/8 वा हिस्सा मुन्ना कंवर को प्राप्त हो गया। गेन्द कंवर की मृत्यु हो गयी इसलिए उसका 1/8 वा हिस्से की हकदार उसकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकार उसकी पुत्री मंजु कंवर वादिया क्रम 4 है। उक्त हिस्सा अनुसार ही विपक्षी सख्या 2 द्वारा वादग्रस्त जायदाद बाबत नामान्तकरण खोलना था।

वर्तमान समय मे उम्मेदसिह जी द्वारा अपने पीछे छोडी गयी कृषि भूमि उनके तीन उत्तराधिकारियो के नाम पर प्रत्येक के 1/3 हिस्से से दर्शायी हुयी है, वह अवैध होकर विधिक प्रावधानो के विपरित है। वर्तमान में 1/3 हिस्से की दर्ज खातेदार सपियार कंवर की मृत्यु हो गयी है। वर्तमान में प्रार्थी संख्या 01 के 1/3 हिस्सा विपक्षी सख्या 01 भवानीसिह के 1/3 हिस्सा व स्व० सपियार कंवर के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है वह अवैध होने से हटाये जाने योग्य होकर प्रत्येक वादी के नाम पर 1/8 वा हिस्सा व विपक्षी सख्या 1 के नाम पर 1/6 वा हिस्सा दर्ज किया जाकर उन्हे उनके बनने वाले हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि सम्मत है क्योकि सभी हितबद्ध बाबत खातेदारी के वैध रूप से अधिकारी है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त आराजियात जरिये विरासत प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है। अतः प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहे है।

अतः प्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहे है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

24/9/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा